न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 88 / 2017

1. नसीबकौर पत्नी नायबसिंह जाति मजहबी निवासी चक 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बलराजसिंह पुत्र नायबसिंह जाति मजहबी निवासी चक 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. काकू पुत्री नायबसिंह पत्नी मलकीतसिंह जाति मजहबी निवासी गांव दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. सुखदेवसिंह पुत्र नायबसिंह जाति मजहबी निवासी चक 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थीगण

बनाम

1. भोलासिंह पुत्र सरदारासिंह जाति मजहबी निवासी चक 12 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. सतपालसिंह पुत्र मेजरसिंह
3. हरविन्द्रकौर पुत्री मेजरसिंह
4. वीरपालकौर पुत्री मेजरसिंह
5. राजेन्द्रकौर पुत्री मेजरसिंह

   जाति मजहबी निवासीगण चक 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा कालियां जिला श्रीगंगानगर ।
7. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)श्रीगंगानगर

दिनांक 30.05.2017

15/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः—

श्री गुरविन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री पवन कुमार शाक्य अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 15.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 रा.का.अ. का न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष पेश कर कथन किया कि चक 3 वाई के मु.न. 19 के कि.न. 1 से 10, 13 से 18, 25 की कुल 3.035 है0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सड़के, आवासीय मकान एवं प्लाट काटकर अकृषि कार्य में लिया जा रहा है। उक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य से अकृषि कार्य में बिना किसी सक्षम अधिकारी के किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधी.न्यायालय ने पत्रावली कायम कर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिये। अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि पर गैर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है मौका पर भूमि खाली है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अनुतोष सहित 4 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 30.05.2017 को वाद स्वीकार करते हुए विवादित भूमि को रकबा राज घोषित करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण ने कृषि भूमि

15/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पर गैर कृषि कार्य नहीं किया है। अधी. न्यायालय ने मौका निरीक्षण नहीं किया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वाद को आधार मानकर अधी.न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रा.का.अ. की धारा 177 के तहत भूमि खारिज करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मौक पर कृषि भूमि से गैर कृषि कार्य किया जाना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित था जिसके आधार पर अधी.न्यायालय में वाद पेश किया गया। अधी.न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए वाद को स्वीकार करते हुए जो आदेश दिया है वह उचित होने से अपील खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधी. न्यायालय के समक्ष वाद के साथ राजस्व पटवारी पटवार हल्का 3 वाई की रिपोर्ट संलग्न है जिसमें विवादित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी होना व उक्त रकबा में प्लाट काटकर कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग किया जाना अंकित है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से कि.नं. में कौन सी भूमि पर प्लाट काटे गये है। इस न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक राजस्व/17/3928 दिनांक 15.12.2017 प्रेषित की जिसके साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न है जिसमें कि.नं. 13 से 15, 17 व 18 खाली बताया गया है, मौका पर काश्त के काम नहीं आ रहा है शेष रकबा आवासीय के उपयोग में बताया गया है। भूमि संयुक्त खातेदारी की है। अधी. न्यायालय ने समस्त भूमि के सम्बन्ध में आदेश पारित करते हुए रकबा राज घोषित कर दिया जो विधि के विपरीत है।

15/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा.का.अ. पेश किया जिसकी Bare reading है कि Ejectment for detrimental act or breach of condition. (1) A tenant shall, on the application of the landholder, be liable to ejectment from his holding:-

(a) On the ground of any act or omission detrimental to the land in that holding or inconsistent with the purpose for which it was let or

(b) On the ground that he or any person holding from him has broken a condition on the breach of which he is, by special contract which is not contraray to the provision of this Act, liable to be ejected है विधि के प्रावधाननुसार अगर कृषि भूमि पर अकृषि कार्य प्रमाणित भी होता है तो कृषि भूमि आराजी राज करने के नहीं अपितु बेदखली के आदेश जारी किये जाने कानूनन है जिसके लिये सन्दर्भ कानून राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए पठित धारा 91 है। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर